विधवा पारिवारिक पेंशन के निपटान की प्रक्रिया / *(नियमित पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में(*

प्रथम चरण मृत्यु की सूचना :

- पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तत्काल एसबीआई धनबाद मुख्य शाखा को निम्न ईमेल पते पर -: भेजी जाए
    - cmpf.pension@sbi.co.in
    - sbi.00066@sbi.co.in
- मृत्यु प्रमाणमेल के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।-पत्र की सत्यापित प्रति ई-

द्वितीय चरण (यदि कोई हो) अतिरिक्त पेंशन की वसूली :

- मृत्यु की तिथि के पश्चात भुगतान की गई पेंशन को अतिरिक्त पेंशन माना जाएगा तथा उसकी वसूली की जाएगी।
- वसूल की गई राशि निम्न खाते में जमा की जाए :

  खाता संख्या : 34871915753

  खाता नाम : COAL MINES PENSION CONTRIBUTION ACCOUNT
- बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भी जारी किया जाएगा। ”पत्र-अतिरिक्त पेंशन वसूली प्रमाण“

अतिरिक्त पेंशन की गणना

1. मृत्यु की तिथि के बाद भुगतान की गई पेंशन वसूल योग्य होगी।
2. यदि मृत्यु माह के बीच में होती है, तो मृत्यु की तिथि के बाद की अवधि की अनुपातिक पेंशन वसूल की जाएगी।
3. वसूली के उपरांत भुगतानकर्ता शाखा द्वारा निम्न ई: मेल पते पर सूचना भेजी जाएगी-
    - cmpf.pension@sbi.co.in
    - sbi.00066@sbi.co.in

तृतीय चरण दस्तावेजों का अग्रेषण :

➢ परिवार पेंशनभोगी द्वारा अपने गृह एसबीआई शाखा में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाएंगे :

- परिवार पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-के)
- पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
- आवेदक के दो सत्यापित पासपोर्ट आकार के फोटो
- पेंशनभोगी के पीपीओ की सत्यापित प्रति
- प्रतिज्ञा-पत्र (Undertaking)

o परिवार पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण-पत्र

o परिवार पेंशनभोगी के केवाईसी दस्तावेज

- संबंधित एसबीआई गृह शाखा द्वारा उपरोक्त सभी मूल दस्तावेजों को शाखा अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित कर विधवा / परिवार पेंशन के प्रसंस्करण हेतु एसबीआई धनबाद मुख्य शाखा (00066) को अग्रेषित किया जाएगा।

ऐसे मामले जहाँ पेंशन खाता किसी अन्य बैंक में संचालित हो

- **यदि मृत पेंशनभोगी का पेंशन खाता किसी अन्य बैंक में संचालित हो तथा परिवार पेंशनभोगी उसी खाता में संचालित करना चाहता हो, तब भी परिवार पेंशन आवेदन निकटतम एसबीआई शाखा के माध्यम से ही संसाधित किया जाएगा, क्योंकि एसबीआई नामित पेंशन प्रोसेसिंग बैंक है।**

महत्वपूर्ण सूचना

यदि संशोधित पीपीओ, जिसमें :

- परिवार पेंशनभोगी का नाम, तथा
- परिवार पेंशन की राशि

अंकित हो, सीएमपीएफओ द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, तो परिवार पेंशनभोगी / दावा-कर्ता निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित कोलियरी, जहाँ पेंशनभोगी अंतिम बार कार्यरत था, में जमा करेगा ताकि दावा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, सीएमपीएफओ को विधवा पेंशन के निपटान हेतु अग्रेषित किया जा सके :

1. छह पासपोर्ट आकार के फोटो
2. सेवानिवृत्ति पत्र
3. परिवार पेंशन हेतु आवेदन
4. फोटो सहित आवासीय प्रमाणपत्र-
5. पतिपत्नी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड/
6. बैंक प्रमाणबैंक स्टेटमेंट / पत्र-
7. मृत्यु प्रमाणपत्र-
8. सेवा अभिलेख
9. दावाकर्ता का बैंक खाता विवरण-

प्रपत्र डाउनलोड हेतु

अनुलग्नक-के तथा Undertaking का प्रपत्र CMPFO की आधिकारिक वेबसाइट (**https://cmpfo.gov.in/forms.html**) से डाउनलोड किया जा सकता है।